(2008) 1 एस.सी.आर. 629

आयुक्त, नगर निगम हैदराबाद और अन्य

बनाम

पी. मैरी मनोरंजनानी और अन्य

(सी.ए. संख्या 341 / 2008)

11 जनवरी 2008

(एस.बी. सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, जे.जे.)

सेवा कानून - अनियमित श्रमिकों के अवशोषण द्वारा नियुक्ति - नियुक्ति के प्रयोजन के लिए रोजगार कार्यालय नियोक्ता-निगम से उम्मीदवारों के नामों के प्रायोजन से छूट दी गई हैं, भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और साक्षात्कार की आवश्यकता है - उम्मीदवार - अनियमित कार्यकर्ता लिखित परीक्षा में उपस्थित नहीं हो रहे हैं और टाइपिंग टेस्ट नहीं दे रहे है, लेकिन साक्षात्कार में उपस्थित हो रहे है- उम्मीदवार नियमित नियुक्ति की मांग कर रहा है- सेवा से अनाधिकृत अनुपस्थिति के आधार पर एक अनियमित कर्मचारी के रूप में उसकी सेवाएं समाप्त की जा रही हैं- समाप्ति को चुनौती दी गई उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति का निर्देश दिया- अपील में यह माना गया अभ्यर्थी की नियुक्ति को उचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है- उसके पास नियुक्त होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था- सरकारी आदेश में केवल रोजगार कार्यालय द्वारा नामों के प्रायोजन से छूट दी गई थी, भर्ती प्रक्रिया से नहीं संवैधानिक अनादर में एक सार्वजनिक रोजगार प्रदान किया गया। संविधान के अनुच्छेद 14 और

16 और वैधानिक जरूरतो की अनुमति नहीं है- भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 12, 14 और एफ 16-जीओ मिस. नंबर 27 एम.ए. (क्यू) दिनांक 16.1.1991

प्रतिवादी नंबर 1 ने अपीलार्थी-निगम की सेवाओं में बलवाड शिक्षक (अनियमित श्रमिक) के रूप में सम्मिलित हुआ था। निगम ने राज्य से अनुरोध किया कि नियमित पद पर नियुक्ति के लिए रोजगार कार्यालय द्वारा उम्मीदवारों के प्रायोजन की आवश्यकता से अनियमित श्रमिकों को छूट दी जाए। यह छूट जी.ओ. मिस. संख्या 27 एम.ए. (क्यू) दिनांक 16.2.1991 द्वारा प्रदान की गई थी। प्रतिवादी, को चयन के प्रयोजन के लिए नियमित पद हेतु साक्षात्कार और लिखित परीक्षा में उपस्थित होना आवश्यक था। वह साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुई, लेकिन लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट में उपस्थित नहीं हुई। इसके बाद निगम को वेलफेयर एसोसिएशन से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें निगम से अनुरोध किया गया कि प्रतिवादी की सेवाएं समाप्त कर दी जाएं क्योंकि उसने अनाधिकृत रूप से काम किया है। अनियमित कर्मचारी के रूप में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे। इसके बाद प्रतिवादी ने निगम से अनुरोध किया कि एक टाइपिस्ट के रूप में अपना अवशोषण चाहती हूँ। निगम द्वारा अस्पष्ट अनुपस्थिति को देखते हुए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। प्रतिवादी ने बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर इसकी अनुमति दी कि एक बार जब उम्मीदवार का नाम जीओ के अनुसार उम्मीदवारों की सूची में आ गया, तो उसकी नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता था। जी.ओ. के मद्देनजर मिस. संख्या 27 इस आधार पर कि साक्षात्कार की तिथि पर वह वास्तविक सेवा में नहीं थी, निगम की अपील हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दी। इसलिए वर्तमान अपील पेश की गयी है।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए यह माना कि-

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 18 में उल्लिखित सार्वजनिक रोजगार के संबंध में संवैधानिक योजना स्पष्ट है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के तहत 'राज्य द्वारा की गई कोई भी नियुक्ति संवैधानिक योजना के अधीन होनी चाहिए। नियुक्तियाँ करते समय राज्य वैधानिक आवश्यकताओं, यदि कोई हो, का अनुपालन करने के लिए बाध्य है। वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के संबंध में न तो अपीलार्थी और न ही राज्य कोई छूट दे सकता है। (पैरा 13) (635-एफ, जी, एच; 636-ए)

सचिव, कर्नाटक राज्य व अन्य बनाम उमा देवी (3) व अन्य 2006 (4) एससीसी 13- जी.ओ.एम. इस प्रकृति के मामले में बिल्कुल भी लागू नहीं होता है, जहां एक उम्मीदार ना केवल नियमित पद पर भर्ती के प्रयोजन से लिखित परीक्षा में शामिल नहीं हुआ, बल्कि कई वर्षो तक अपने कर्तव्यों का पालन करने में भी विफल रहा। प्रतिवादी को एक विशेष उद्देश्य अर्थात् गरीब बच्चो को शिक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन वह अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रही। जब उसे इस तथ्य का पता चला कि उसके खिलाफ शिकायत की गयी है, तो उसने या तो उसे टाईपिस्ट के रूप में भर्ती करने या मेडिकल ग्राउण्ड पर छुट्‌टी देने का अनुरोध किया, जो कि दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होता है। उनके पास उक्त पद पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। जी.ओ. के संदर्भ में उसके मामले पर विचार करने का उच्च न्यायालय का निर्देश स्थिर रहने योग्य नहीं है। (पैरा 15, 16 ओर 17) (636-सी, डी.ई.एफ.)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारिताः सिविल अपील सं. 341/2008

माननीय आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद द्वारा डब्ल्यू.ए. नंबर 1714/2004 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 4-11-2004 से।

एल.एन. राव, जी. रामाकृष्णा प्रसाद, सुयोधन ब्यारापानेनी सिद्धार्थ पटनायक एवं जी. अरूण - अपीलांट की ओर से

अनिल कुमार टन्डाले - रेस्पोडेन्ट की ओर से

न्यायालय का निर्णय श्री **एस.बी. सिन्हा**, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति स्वीकृति।

प्रतिवादी नंबर 1 100/- रूपये प्रतिमाह के मानदेय पर अपीलांट-निगम की सेवाओं में बालवाडी शिक्षक के रूप सम्मिलित हुआ। निगम ने आंध्र प्रदेश राज्य से नियमित पदों पर नियुक्ति के लिए रोजगार कार्यालय द्वारा उम्मीदवारों के प्रायोजन की आवश्यकताओं के संबंध में छूट देने का अनुरोध किया, जिसके अनुसार जीओ. एमएस. नंबर 27 एम.ए. (क्यू) दिनांक 16 जनवरी, 1991 को जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया थाः-

"आयुक्त, हैदराबाद नगर निगम ने ऊपर पढ़े गए अपने दूसरे पत्र में कहा है कि नगर निगम हैदराबाद निगम 1967 से शहरी सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू कर रहा है, इस कार्यक्रम के तहत झुग्गी-झोपड़ियों में महिलाओं और बच्चों के लाभ के लिए कई बलवाड़ी और सिलाई केंद्र खोले गए और 250/- रुपये प्रति माह का अनुदान दिया गया। हैदराबाद नगर निगम द्वारा बलवाड़ी शिक्षकों को भुगतान किया गया था और इन व्यक्तियों की नियमित वेतनमान वाले पदों पर अवशोषण की लंबे समय से मांग है। क्योंकि उनमें से अधिकांश 10 से 15 वर्षों से शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए, हैदराबाद नगर निगम के आयुक्त ने सरकार से स्वैच्छिक श्रमिकों को रोजगार विनिमय प्रक्रिया से छूट देने का अनुरोध किया है ताकि उन्हें लोअर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन टाइपिस्ट, बिल संग्रहणकर्ता, लेखा सहायक या कोई अन्य पद जिसके

लिए वे पात्र हैं, के रूप में हैदराबाद नगर निगम की मौजूदा और भविष्य की रिक्तियों में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सके।"

2. सरकार ने आयुक्त, हैदराबाद नगर निगम के प्रस्ताव की सावधानीपूर्वक जांच की है और इस आदेश के अनुलग्नक में सूचीबद्ध 214 स्वैच्छिक श्रमिकों को रोजगार विनिमय प्रक्रिया से छूट दी है ताकि उन्हें एल.डी.सी. एल.डी., टाइपिस्ट, विल कलेक्टर, रिकॉर्ड सहायक या कोई अन्य पद जिसके लिए वे मौजूदा और भविष्य की रिक्तियों में पात्र हैं, के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सके।

3. हैदराबाद नगर निगम के आयुक्त से आवश्यक कार्रवाई करने का इसी अनुबंध में अनुरोध किया गया है।

4. उक्त आदेश स्पष्ट रूप से बताता है कि जो छूट दी गई थी वह रोजगार कार्यालय द्वारा उम्मीदवारों के प्रायोजन की आवश्यकता थी, न कि चयन प्रक्रिया।

5. अपीलार्थी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में एक 'राज्य है। इसलिए, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत परिकल्पित संवैधानिक योजना के संदर्भ में चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए बाध्य था।

6. प्रतिवादी को, अपीलार्थी-निगम द्वारा सृजित एक नियमित पद पर अपने चयन के उद्देश्य से, चयन समिति के समक्ष एक लिखित परीक्षा के साथ-साथ एक लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होना आवश्यक था। वह 24 दिसंबर, 1991 को साक्षात्कार में शामिल हुईं। हालांकि, वह लिखित परीक्षा में शामिल नहीं हुईं। अप्रैल, 1989 से वह अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित रहीं। चूंकि वह अनाधिकृत रूप से लंबे समय तक लगातार अनुपस्थित रही थी, इसलिए 2 जून, 1992 को निगम को जय प्रकाश नगर वेलफेयर एसोसिएशन से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें निगम से उसकी सेवाएं समाप्त करने का अनुरोध किया गया था।

7. इसके संदर्भ में जानने के बाद प्रतिवादी ने 12 फरवरी, 1993 को अपीलार्थी के समक्ष अनुरोध किया कि उसे टाइपिस्ट की नौकरी प्रदान की जाए, जिसमें कहा गया थाः -

"मैं यहां बताना चाहती हूं कि मैंने अंग्रेजी में उच्च टंकणकर्ता उत्तीर्ण की है और एसएससी उत्तीर्ण की है। मैं 26.12.91 को साक्षात्कार में शामिल हुआ थी, (लेकिन) देर से आने और संचार अंतराल के कारण लिखित परीक्षा और टाइपराइटिंग परीक्षा में शामिल नहीं हो सकी।

सर, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया मुझे एक टाइपिस्ट के रूप में नियुक्त करें क्योंकि मैं इस पद को संभालने के लिए पूरी तरह से योग्य हूं। मेरे सहकर्मियों को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है। अगर मुझे नौकरी प्रदान की जाती है, तो मैं हमेशा आभारी रहूंगी"

8. इसलिए, यह माना जाता है कि वह लिखित परीक्षा में उपस्थित नहीं हुई एवं टाईपिंग परीक्षा में भी अनुपस्थित रही। उसे यह भी आभास हो गया था कि वह लगातार अपनी सेवाओं से अनुपस्थित रही है, 1 मई, 1989 से 19 फरवरी, 1993 तक छुट्टी पर रहने के इलाज के लिए कुछ मेडिकल प्रमाणपत्र दाखिल करने के लिए कहा गया। अपीलार्थी ने 10 मार्च, 1993 को अपने पत्र द्वारा उसे प्रस्तुत करने के लिए कहा। उसकी अनुपस्थिति की अवधि के दौरान उसके द्वारा किए गए अभ्यावेदन की प्रतियां और साथ ही उसके मामले की जांच करने के लिए पावती रसीदें भी पेश की। प्रतिवादी द्वारा अनुपस्थिति की अवधि संतोषजनक ढंग से नहीं बताए जाने पर उसकी सेवाएं 24 जुलाई, 1998 के एक आदेश द्वारा यह कहते हुए समाप्त कर दी गईः

"13. श्रीमती मैरी मनोरंजनी के अनुरोध की जांच उपलब्ध रिकॉर्ड के संदर्भ में की गई है और यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है कि वह 1 अप्रैल, 1989 से उन

कारणों से ड्यूटी से अनुपस्थित थीं जो उन्हें सबसे अच्छे से ज्ञात थे। रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। स्वयं दिखाएँ कि उसने अपनी अनुपस्थिति की अवधि के दौरान या तो कोई छुट्टी आवेदन या कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जब तक कि उसने 20.02.1993 को आज शामिल होने की अनुमति के लिए फिर से आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। बलवाड़ी/सिलाई शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित कल्याण संघों द्वारा मलिन बस्तियों में की गई है और उन्हें एमसीएच द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था। श्रीमती मैरी मनोरंजनी को पहले ही सूचित कर दिया गया है कि ड्यूटी पर फिर से शामिल होने के उनके अनुरोध को इस कार्यालय पत्र 7 वें उद्धृत के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया है। श्रीमती मैरी मनोरंजनी ने अपने मामले पर पुनर्विचार करने के लिए कोई नया आधार नहीं दिया है।

9. इससे व्यथित होकर उसने अगस्त, 1998 में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने 9 मार्च, 2004 के एक फैसले और आदेश के द्वारा बिना प्रकरण के गुण अवगुण पर टिप्पणी किये, उक्त याचिका को यह कथन करते हुए स्वीकार कर ली गयीः-

"स्वीकृत रूप से सरकार द्वारा दिनांक 16.01.1991 को जी.ओ. एम. एस. नंबर 27 जारी किया गया एवं उक्त जी.ओ. के कथनो के अनुसार हैदराबाद नगर निगम में स्वेच्छिक रूप से काम करने वाले श्रमिकों को रोजगार विनिमय आदि से संबंधित नियमों में ढील देकर नियमित रिक्तियों में शामिल किया जाना चाहिये तथा याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार यह स्पष्ट है कि अनियमित श्रमिको की एक सूची तैयार की गयी थी और याचिकाकर्ता को क्रम संख्या 100 पर रखा गया है। जब एक बार याचिकाकर्ता उम्मीदारो की सूचि में है और जी.ओ. संख्या 27 में मौजूदा नियमो में छूट देने का उद्देश्य होता है और उन लोगों के अवशोषण के लिए है, जो जी.ओ. की तारीख के अनुसार अनियमित श्रमिको के रूप में काम कर रहे

हैं, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता के मामले को केवल इस आधार पर नहीं माना जा सकता है कि साक्षात्कार की तारीख को वह वास्तविक सेवा में नहीं थी। इसलिए, मैं उत्तरदाताओं का जी. ओ.एम. नंबर 27 दिनांक 16-1-1991 के संदर्भ में लोवर डिवीजन टाइपिस्ट या किसी अन्य समकक्ष पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश देना उचित समझता हूं।"

10. इसके खिलाफ अपीलार्थी द्वारा की गयी एक अंर्तन्यायालय अपील को उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ ने आक्षेपित फैसले के कारण खारिज कर दिया है।

11. श्री एल. एन. राव, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कथन किया कि उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश प्रथम दृष्टया अवैध है, क्योंकि इस प्रकृति के मामले में उपरोक्त जी.ओ.एम.एस. में यह नहीं कहा जा सकता कि इसका कोई भी अनप्रयोग है।

12. दूसरी ओर प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार टंडाले ने कथन किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की अवधि को ध्यान में रखते हुऐ, जिसे डिवीजन बेंच द्वारा पुष्टि की गयी है, में उक्त जी.ओ. एमएस के संदर्भ में प्रतिवादी के मामले पर विचार करने का मात्र निर्देश किया गया है, इस न्यायालय द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप उचित नहीं है।

13. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 में उल्लिखित सार्वजनिक रोजगार के संबंध में संवैधानिक योजना स्पष्ट है। भारत के संविधान के अनच्छेद-12 के अर्थ के तहत "राज्य द्वारा की गयी कोई भी नियुक्ति संवैधानिक योजना के अधीन होनी चाहिये। नियुक्तियां करते समय राज्य वैधानिक आवश्यकताओं, यदि कोई हो, का अनुपालन करने के लिए बाध्य है। ना तो अपीलार्थी और ना ही राज्य उक्त वैधानिक आवश्यकताओं की पालना करने से किसी को छूट प्रदान कर सकता है।

14. जी.ओ.एम. केवल रोजगार कार्यालय द्वारा नामों के प्रायोजन से छूट देता है। अपीलार्थी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 या इस क्षेत्र में लागू अन्य वैधानिक नियमों की आवश्यकताओं का पालन करने के अपने दायित्व से कोई छूट देने की मांग नहीं की और न ही कर सकता है। यह अब कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि कानून या संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करके की गई कोई भी नियुग्कि अवैध होगी। (सचिव कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमा देवी (3) और अन्य: (2006) 4 एससीसी 1.

15. जी.ओ. एम.एस. संख्या 27 एम.ए. (क्यू) दिनांक 16 जनवरी 1991 उन सभी मामलो में लागू नहीं होती है, जहां एक उम्मीदवार न केवल नियमित पद पर भर्ती के उद्देश्य से लिखित परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ, बल्कि कई वर्षों तक अपने कर्तव्यों का पालन करने में भी विफल रही। प्रतिवादी को एक विशेष उद्देश्य के लिए नियुक्त किया गया था, जिसका नाम था - गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। वह अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रही।

16. जब उसे इस तथ्य का पता चला कि उसके खिलाफ शिकायत की गई है, तो उसने या तो उसे टाइपिस्ट के रूप में भर्ती करने या चिकित्सा आधार पर छुट्टी देने का अनुरोध किया, जो प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होता है।

17. इसलिए, हमारी राय है कि उसके पास उक्त पद पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जी.ओ.एम. क्रमांक 27 एम.ए. (क्यू) दिनांक 16 जनवरी, 1991 के संदर्भ में उसके मामले पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय का निर्देश स्थिर रहने योग्य नहीं है क्योंकि उक्त सरकारी आदेश का मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर कोई लागू नहीं होगा ।

18. उपर्युक्त कारणों से आक्षेपित निर्णय कायम नहीं रखा जा सकता और तदनुसार अपास्त किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है। कोई अन्य आदेश खर्चो बाबत नहीं दिया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नेहा कुमावत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।